

11  
15/22

पत्रावली पेश हुई वकील पशि द्या.  
पत्रावली वाले लक्ष्मण को रिम  
का टैटु दिनांक 17/11/22  
को पेश है

17  
22


आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ  
पेश हुई। वादी एवं वकील वकील अनु.  
न्यायालय में कर-बोर आवक  
लगवाने के आवक साथ 5.00 बजे  
तक वादी एवं वकील वकील में से  
कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम  
पेशी में खरिज हो चुका है। मूलवाद  
का निस्तारण हो जाने से प्रापत्र 212  
RT Act का कोई औचित्य नहीं है।  
अतः प्रापत्र 212 RT Act की  
अर्थवाही दायर की जाती है पत्रावली के लक्ष

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

शुमार खतर रजिस्टर से हटा दी  
जावे। संलग्न मूलकाव (डी।

  
SDO